राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1249/2009/श्रीगंगानगर

मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल, श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, श्रीगंगानगर।
हाल–सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, वृत बी, श्रीगंगानगर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 277/आरवेट/श्रीगंगानगर/08–09 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.10.2008 के जरिये कायम की गयी शास्ति रूपये 3,53,945/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाहन संख्या आरजे–31जी–6647 एवं आरजे–31जी–5445 को गंगानगर से नोहर सरसों का परिवहन करते हुए दिनांक 05.10.2008 को सांगरिया में चैक किया गया। दोनों वाहनों में परिवहनित सरसों मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल, श्रीगंगानगर द्वारा मै0 सौरभ एन्टरप्राईजेज, नोहर को विक्रय की गई थी। वाहनों चालको द्वारा परिवहनित माल के दस्तावेजों के रूप में केवल बिल प्रस्तुत किए गए, बिल्टी अथवा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस पर सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी पर 76(2) का उल्लंघन मानने पर अधिनियम की धारा 76(6) के अंतर्गत रूपये 3,53,945/– शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल के साथ उनके द्वारा जारी की गई वेट इनवाइस परिवहनित माल के साथ मौजूद थी जिन्हें वक्त निरीक्षण सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त माल की लोडिंग उदयोग विहार श्रीगंगानगर जो कि कृषि उपज मण्डी के प्रागण के बाहर स्थित है से की गई है। चैकिंग के समय प्रस्तुत किए गए बिल में विक्रेता एवं क्रेता का सम्पूर्ण विवरण अंकित था, क्रेता एवं विक्रेता के टिन नम्बर लिखे हुएं थे, वेट चार्ज किया हुआ था। माल के परिवहन के दौरान माल की बिल्टी नहीं होने के कारण आरोपित शास्ति अविधिक है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

लगातार.....2

1. मै0 विजेन्द्र एण्ड कंपनी बनाम एसीटीओ (1998) टैक्स बोर्ड 342 (राजस्थान कर बोर्ड)
2. एसीटीओ बनाम मोनिका ब्रदर्स (2000) 23 टैक्स वर्ड 201 (राज. उच्च न्यायालय)
3. एसीटीओ बनाम अनिल कुमार (2000) 23 टैक्स वर्ड 393 (राज. उच्च न्यायालय)
4. बांसवाडा सिन्थेटिक लि0 बनाम प्रभारी जांच चोकी (2000) टैक्स वर्ड 449 (आरटीबी)

उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।..

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ केवल बिल प्रस्तुत किये गये थे। वक्त चैकिंग एवं नोटिस के जवाब में बिल्टिया पेश नहीं की गई थी। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा भी यथावत रखा गया है। अतः उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वाहन संख्या आरजे–31जी–6647 एवं आरजे–31जी–5445 को गंगानगर से नोहर सरसों का परिवहन करते हुए दिनांक 05.10.2008 को सांगरिया में चैक किया गया। दोनों वाहनों में परिवहनित सरसों मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल, श्रीगंगानगर द्वारा मै0 सौरभ एन्टरप्राईजेज, नोहर को विक्रय की गई थी। वाहनों चालको द्वारा परिवहनित माल के दस्तावेजों के रूप में केवल बिल प्रस्तुत किए गए, बिल्टी अथवा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस कारण सशक्त अधिकारी धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया। वाहन चालक ने बिल प्रस्तुत किये जिसमें माल के प्रेषक एवं प्रेषिती के नाम, पते, माल की कीमत सब घोषित था। कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत बिल को बोगस या असत्य प्रमाणित नहीं किया है। केवल मात्र बिल्टी संलग्न नहीं होने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया है। बिल्टी केवल किराया हेतु बनाई जाती है। हस्तगत प्रकरण में वाहन स्वयं मालिक फर्म के थे अतः किराया की बिल्टी नहीं बनाई गई है। इसके अलावा वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत बिल में माल की विगत, टिन नं0, प्रेषक एवं प्रेषिती फर्म के पते विधमान थे। इनकी कर निर्धारण अधिकारी ने कोई जांच करके बोगस या असत्य प्रमाणित नहीं किया है। अतः धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति विधिक नहीं है। लिहाजा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है। व्यवसायी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य